न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 39 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022 / 315

उनवान

1. लक्ष्मण पिता हीरालाल गुर्जर निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री अम्बालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उर्मिला पुत्री लेहरू जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपीलाल पिता छोगा जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जयसिंह पिता मोजीराम जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा?
5. नाथुलाल पिता चम्पा जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नाथी पुत्री अम्बालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रेमदेवी पत्नि लेहरू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. ब्रदीलाल पिता लोभचन्द जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बदामी पत्नि चम्पा जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. बंशी पिता हजारी जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. बालुराम पिता उदयराम जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. बाली पुत्री अम्बालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. भैरा पिता धुला जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. भुरी पत्नि मोजीराम जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. भजेराम पिता अम्बालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. मगंनीराम पिता लोभचन्द जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. मदनलाल पिता छोगालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. मंशा पत्नि लेहरू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. रेखा उर्फ रिंकु पत्नि लेहरू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. रामलाल पिता छोगालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. सुखलाल पिता मौजीराम जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. दिनेश पिता नारू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. लक्ष्मी पुत्री नारू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. सीमा पुत्री नारू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. सुन्दर पत्नि नारू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.03.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक कृषि आराजियात ग्राम केमुणिया प०ह० रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 5 में अंकित साबिक आ.स. 172/1ख रकबा 17 बिस्वा, आ.सं. 178/1 रकबा 17 बिस्वा भूमी अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में साबिक जमाबंदी एवं नक्शाट्रेश वादपत्र के साथ पेश की हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अकित प्रार्थी की वादग्रस्त साबिक कृषि आराजियात सख्या 172/1ख साबिक नक्शे में विपक्षीगण की साबिक आ.सं 178/2 के उत्तर में गोलाकार रूप में रास्ते के सहारे दर्ज थी तथा प्रार्थी की साबिक आ.स. 178/1 विपक्षीगण की साबिक आ.सं. 178/2 के उत्तरी पूर्वी दिशा में दर्ज थी तथा मौके पर प्रार्थी व विपक्षीगण इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। तहसील रायपुर में भुप्रबंध होने पर ग्राम केमुणिया में भी भुप्रबंध हुआ जिससे प्रार्थी की साबिक कृषि आराजियात 172/1ख के नवीन नम्बर 195 रकबा 0.19 हैक्ट आ.सं. 178/1 के नवीन नम्बर 208 रकबा 0.18 हैक्ट. तथा विपक्षीगण की साबिक आ.सं. 178/2 के नवीन नम्बर 206 रकबा 0.19 हैक्ट., आ.सं. 181/2 के नवीन 0.03 हैक्ट आ.सं. 181/1 के नवीन नम्बर 211 रकबा 0.23 हैक्ट कायम किए गए। नवीन आ.सं 211 का विभाजन होने से नवीन नम्बर 2011/211 व 2012/211 कायम किए गए। प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल व नवीन जमाबंदी तथा नवीन नक्शा ट्रेस की नकल प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। भुप्रबंध के दौरान भुप्रबंध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थी व विपक्षीगण की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया परंतु बिना किसी विधिक आदेश के नवीन नक्शाट्रेस में प्रार्थी व विपक्षीगण की नवीन आ.सं. 195 रकबा 0.19 हैक्ट, आ.सं. 208 रकबा 0.19 हैक्ट, आ.सं. 206 रकबा 0.19 हैक्ट आ.सं 209 रकबा 0.03 हैक्ट आ.सं. 211 रकबा 0.23 हैक्ट को मौके की स्थिति व साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम करते हुए प्रार्थी की नवीन आ.सं. 195 का दक्षिणी हिस्सा गोलाकार दर्ज नहीं करते हुए सीधा कर दिया तथा प्रार्थी की आ.सं. 208 को मौके की स्थिति के विपरीत विपक्षीगण की कब्जेशुदा भूमी में दर्ज कर दिया तथा विपक्षीगण की आ.सं. 206 को प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमी के स्थान पर दर्ज कर दिया जो गलत होकर अवैध हैं तथा नवीन नक्शे में आ.सं. 209 का रकबा बढ़ा दिया व आ.सं. 211 का रकबा कम कर दिया जो गलत होकर अवैध हैं। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम केमुणिया में स्थित नवीन आराजी संख्या 195 रकबा 0.19 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थित के अनुसार तथा प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 208 रकबा 0.18 है0 को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार विपक्षीगण की आराजी संख्या 206 के स्थान पर तथा विपक्षीगण की आराजी संख्या 206 को प्रार्थी की आराजी संख्या 208 के स्थान पर साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 209 व 211 का रकबा साबिक नक्शे एंव मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 बावजुद सूचना के

सहायक कलक्टर

उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें अंकन किया गया कि ग्राम केमुणिया के साबिक आराजी संख्या 172/1ख रकबा 17 बिस्वा, 178/1 रकबा 17 बिस्वा आराजियात स्थित उक्त बिन्दु में साबिक जमाबन्दी नक्शा ट्रेस संलग्न नही है प्रार्थी स्वयं सिद्व करे। साबिक नक्शे के उक्त आराजियात में 178/2 के उत्तर में गोलाकार रूप में रास्ते के सहारे दर्ज थी। संलग्न मौका पर्चा के अनुसार मौकेपर हाल आराजी संख्या 195 रकबा 0.19 है0 व आराजी संख्या 208 रकबा 0.18 है0 का नक्शे एवं मौके अनुसार अन्तर पाया गया। मौके पर आराजी संख्या 195 की दक्षिणी मेड़ नक्शा अनुरूप नही है तथा आराजी संख्या 208 का हाल राजस्व नक्शे अनुसार कब्जा नही है। नपती करने पर रिकार्ड अनुसार कमशः रकबा 0.19 है0 व 0.18 है0 का कब्जा बराबर पाया गया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया एवं तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी की आराजियात साबिक एवं नवीन रेकार्ड के अनुसार तरमीम नही की जाने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी साबिक नक्शे अनुसार ही मौके पर काश्त कर रहा है तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन कर रखा है। राजस्व नक्शे में प्रार्थी की आराजी को विपक्षीगण की आराजी में मिला रखा तथा विपक्षीगण की आराजी को प्रार्थी की आराजी में मिला रखा जिसको प्रार्थी दुरस्त करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर के हाल राजस्व नक्शे में अंकित आराजी संख्या 195 रकबा 0.19 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार तथा प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 208 रकबा 0.18 है0 को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार विपक्षीगण की आराजी संख्या 206 के स्थान पर तथा विपक्षीगण की आराजी संख्या 206 को प्रार्थी की आराजी संख्या 208 के स्थान पर साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 209 व 211 का रकबा साबिक नक्शे एंव मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम किया जाकर राजस्व नक्शे में इसी अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावे। इसी अनुसार डिकी जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.) रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 39 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022 / 315

उनवान

1. लक्ष्मण पिता हीरालाल गुर्जर निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री अम्बालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उर्मिला पुत्री लेहरू जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपीलाल पिता छोगा जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जयसिंह पिता मोजीराम जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा?
5. नाथुलाल पिता चम्पा जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नाथी पुत्री अम्बालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रेमदेवी पत्नि लेहरू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. ब्रदीलाल पिता लोभचन्द जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बदामी पत्नि चम्पा जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. बंशी पिता हजारी जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. बालुराम पिता उदयराम जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. बाली पुत्री अम्बालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. भैरा पिता धुला जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. भुरी पत्नि मोजीराम जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. भजेराम पिता अम्बालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. मगंनीराम पिता लोभचन्द जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. मदनलाल पिता छोगालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. मंशा पत्नि लेहरू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. रेखा उर्फ रिंकु पत्नि लेहरू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. रामलाल पिता छोगालाल जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. सुखलाल पिता मौजीराम जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. दिनेश पिता नारू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. लक्ष्मी पुत्री नारू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. सीमा पुत्री नारू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. सुन्दर पत्नि नारू जाट निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

सहायक कलक्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर के हाल राजस्व नक्शे में अंकित आराजी संख्या 195 रकबा 0.19 है0 को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थित के अनुसार तथा प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 208 रकबा 0.18 है0 को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार विपक्षीगण की आराजी संख्या 206 के स्थान पर तथा विपक्षीगण की आराजी संख्या 206 को प्रार्थी की आराजी संख्या 208 के स्थान पर साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 209 व 211 का रकबा साबिक नक्शे एंव मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम किया जाकर राजस्व नक्शे में इसी अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(विश्वजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.) रायपुर